



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

फोन न.- 23411950

फैक्स न.- 23414364

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान विस्तार केन्द्र
एल ब्लॉक के सामने, कॅनाट सर्कस, नई दिल्ली - 110 001

संख्या : बीईसी/एस/4/2006-07

दिनांक : 26 सितम्बर, 2007

विषय : लॉट न. 2 की पुरानी अनसर्विसेबल मशीनों व उपकरण के निस्तारण डिस्पोजल हेतु।

इस संस्थान की कार्यशाला में लॉट न. 2 की पुरानी अनसर्विसेबल मशीनों व उपकरण इत्यादि के निस्तारण हेतु कुटेशन आमंत्रित की जाती हैं। कुटेशन **मुहर बन्द लिफाफे में उपनिदेशक प्रभारी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास संस्थान विस्तार केन्द्र, कर्नाट सर्कस नई दिल्ली को 12.10.2007 को सायं 4-00 बजे तक प्रेषित कर दिए जाएं।** कुटेशन पत्र के उपर (लॉट न. 2 अनसर्विसेबल मशीनरी व उपकरण) के निस्तारण हेतु कुटेशन लिखा जाए। इस सम्बन्ध में निम्न बातें प्रेषित हैं :-

1. कुटेशन सूची की समस्त मदों के लिए भेजे जाए।
2. निस्तारण की जाने वाली मशीनों व उपकरणों इत्यादि की सूची, मात्रा व अवस्था संस्थान में किसी भी कार्यदिवस में भोजनावकाश/राजपत्रित अवकाशों को छोड़ कर दिनोंक 09.10.2007 से 11.10.2007 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक देखें जा सकते हैं। इसके लिए संस्थान के उपनिदेशक प्रभारी/ स्टोर कीपर से संपर्क किया जा सकता है।
3. अनसर्विसेबल सामान का निस्तारण "जहां है, जैसा है" के आधार पर किया जाएगा। स्वीकृत पार्टी को पत्र मिलने के तीन कार्यदिवसों के भीतर निस्तारण की राशि संस्थान के मुख्य रोकड़िया के पास जमा करवाकर सामान को संस्थान से बाहर ले जाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, अन्यथा उनका कुटेशन रदद कर दिया जाएगा।
4. उपरोक्त निस्तारण में संस्थान के निदेशक को किसी भी कुटेशन की स्वीकृति एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय सर्वमान्य होगा।
6. उपरोक्त निस्तारण के किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

(एस. के. अग्रवाल)

उप निदेशक प्रभारी